

**दिनांक 13.02.2024 छावनी परिषद्, रामगढ़ के सभागार में आहूत नगरीय फेरी समिति की  
बैठक का कार्यावृत –**

सर्वप्रथम मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद्, रामगढ़ द्वारा समिति के समस्त उपस्थित  
सदस्यों तथा छावनी परिषद्, द्वारा पायलट प्रोजेक्ट हेतु स्वीकृत कंपनी का परिचय प्राप्त किया  
गया।

बैठक में उपस्थिती निम्नवत रही –

1. अध्यक्ष छावनी परिषद् रामगढ़ (प्रतिनिधि)
2. उपायुक्त, रामगढ़ (प्रतिनिधि)
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद्, रामगढ़
4. लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, रामगढ़
5. महिला चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ छावनी
6. प्रभारी कर अधीक्षक, छावनी परिषद्, रामगढ़।
7. कार्यालय अधीक्षक, छावनी परिषद्, रामगढ़।
8. हैल्पींग हैंड, एनजीओ, राँची रोड़, रामगढ़ छावनी
9. पथ विक्रेता लोहार टोला, मेन रोड एवं पुराना बस स्टैण्ड (1) सैयद इन्तेरवाब अहमद 2. जावेद परवेज 3. लक्ष्मी प्रसाद जयसवाल 4. विनोद कुमार 5. मो. शहजाद 6. नवल किशोर साह 7. मो. फैयाज 8. जीमल अहमद कुरैशी 9. मीरा देवी 10. राजेन्द्र साव, आदि 77 पथ विक्रेता)

मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद्, रामगढ़ की अनुमति से अवगत कराया गया कि  
छावनी परिषद् परिपत्र संकल्प संख्या 01 दिनांक 02.02.2024 द्वारा रेहडी / पटरी व अन्य  
गतिशील दूकानदारों को आजीविका सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के मद्देनजर  
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में में ० किरण सॉफ्टवेर सोल्युशंस को टेंडर संख्या VZ/IV/25/TC-  
08/2023-24 दिनांक 30.12.2023 के माध्यम से पथ-विक्रेता बाजार बसाने व संचालन की  
अनुमति स्वीकृत की गयी है। भारत सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुपालन में, कैन्ट क्षेत्र के  
शत प्रतिशत फेरी व्यवसायियों का बायो मैट्रिक आधारित सर्वेक्षण, स्मार्ट कार्ड और विक्रेता  
प्रमाण पत्र प्रदान कर स्मार्ट बाजार बसाए जाने हेतु बैठक आहूत की गयी है।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद्, रामगढ़ के निर्देशानुसार पायलट प्रोजेक्ट आरम्भ करने वाली कंपनी द्वारा अपने कार्य का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा पूर्व में शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम) व अन्य स्थानों पर कृत कार्यवाही के अनुभवों को साझा किया गया।

फर्म द्वारा अपने प्रस्ताव के अनुरूप छावनी क्षेत्र में फेरी व्यवसाय करने वाले पथ—विक्रेताओं का बायो मैट्रिक आधारित सर्वेक्षण, एमआईएस सॉफ्टवेर को विकसित करना, पथ—विक्रेताओं का पूर्ण विवरण के साथ एमआईएस सॉफ्टवेर, सॉफ्टवेर में डाटा संग्रह, स्मार्ट कार्ड, विक्रेता प्रमाण पत्र, बाजार बसाने हेतु स्थल क्षमता सर्वेक्षण व योजनाकार की मदद से विक्रेता बाजार का सम्पूर्ण नियोजन और पारदर्शिता के साथ नक्शे का निर्माण, बाजार में पूर्ण रोशनी की व्यवस्था, सीसी टीवी कैमरा, साफ सफाई, वाहन पार्किंग, बाजार के नाम का डिस्प्ले बोर्ड, कूड़ेदान, पालूँन आदि सुविधा मुहैया करा कर छावनी परिषद्, रामगढ़ द्वारा प्रदत्त कार्यादेश अवधि तक उक्त व्यवस्था का निःशुल्क संचालन किए जाने का प्रस्तुतीकरण किया गया।

मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद्, रामगढ़ के पूर्व में प्रदत्त निर्देशानुसार छावनी परिषद्, रामगढ़ द्वारा छावनी परिषद् क्षेत्र के विभिन्न स्थलों के लाभार्थियों का बायो मैट्रिक आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट दिखाया गया तथा बेडिंग जोन निर्माण हेतु स्थलों का प्रस्ताव निम्नवत प्रस्तुत किया गया—

1. पुराना बस स्टैण्ड
2. जुबली मार्केट
3. लोहार टोला

बैठक में कंपनी द्वारा बायो मैट्रिक सर्वेक्षण के आधार पर उपरोक्त बाजार के लाभार्थियों की व्यवसाय के अनुसार सूची प्रस्तुत की गयी।

कंपनी द्वारा फल, फास्ट फूड, जनरल स्टोर, पान गुटका, चाय आदि के आधुनिकता में लैस स्मार्ट कार्ट के अलग—अलग मॉडल प्रस्तुत किया गया जिनकी खरीदारी पथ—विक्रेताओं द्वारा स्वयं किया जाएगा।

मॉडल ए की कीमत: 1,25,000/- जी.एस.टी. 22,500/- कुल कीमत 1,47,500/-, साइज (6 x 4 फीट), मॉडल बी की कीमत रु 1,35,000/- जी.एस.टी. 24,300/- कुल कीमत 1,59,300/-साइज (8 x 6 फीट, शटर के साथ), मॉडल सी की कीमत रु 1,45,000/- जीएसटी 26,100/-. कुल कीमत 1,71,100 साइज (8 x 6 फीट, शटर और पफ पैनल के साथ ) रेहड़ी की खरीदारी हेतु रेहड़ी की कुल कीमत पर 25—30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा कार्यदायी कंपनी को स्वयं देय होगा और बाकी बचा हुआ 65 प्रतिशत की राशि फर्म वेंडर को बैंक द्वारा फाईनेंस करवाकर प्राप्त होगा।

बैंक के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस योजना को सफलीभूत करने और रेहड़ी खरीदारी हेतु पथ-विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए यथा उचित योगदान देने हेतु सहमति जताई गई।

समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से कहा गया कि उक्त समूची प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी व निष्पक्ष रूप से लागू की जानी चाहिए, इस हेतु मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद्, रामगढ़ द्वारा बायोमेट्रिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को समूचे कैटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में मात्र 1 लाभार्थी को 1 रेहड़ी मिलेगी तथा जिनकी पूर्व में ही अपनी स्थायी दुकान अथवा व्यवसाय है, उन्हें कदापि फेरी व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाएगा।

बैठक में उपरिथित सदस्यों द्वारा ये भी चर्चा किया गया कि फेरी व्यवसायियों ने उक्त नियमन व सुविधा के बाबत कितना शुल्क लिए जाना उचित होगा। बैठक में चर्चा के उपरांत यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया कि सर्वप्रथम फेरी व्यवसायियों को न्यूनतम विस्थापन का ध्यान रखते हुए चयनित वैंडिंग जोन में बसाया जाए तदोपरान्त एक या दो माह उपरांत जब वे बाजार और परिस्थितियों से अभ्यस्त हो जाएँ तो उक्त सेवा सुविधाओं को प्रदान करने तथा सहज बनाए रखने के एवज में मासिक किराए के रूप में यथोचित उचित निर्णय लिया जायेगा ताकि पथ विक्रेताओं पर अलग से अतरिक्त वित्त भार ना पड़े।

मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद्, रामगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त फेरी व्यवसाय के नियमन हेतु भारत सरकार के प्रस्ताव और मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करते हुए फेरी व्यवसायियों के साथ नियमानुसार अनुबंध/अनुमति/लाईसेन्स आदि प्रदान किए जाने की सभी कार्यवाही पूर्ण कर लिए जाएँ।

बैठक के समिति सदस्यों में शामिल उज्जवल महतो संचालक हैल्पींग हैंड एनजीओ द्वारा प्रत्येक लाभार्थी के रेहड़ी पर प्रत्येक लाभार्थी का आई० डी० नम्बर और नाम लिखने का सुझाव दिया गया।

बैठक में शामिल रेहड़ी लाभार्थीयों ने अपने व्यवसाय के अनुसार रेहड़ी खरीददारी हेतु बिना किसी दबाव में स्वेच्छा से अपनी सहमति जताई।

बैठक में समिति सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि लंबे समय से फेरी व्यवसाय में रत पथ विक्रेताओं के हितग्राही के लिए अब तक इस प्रकार की योजना धरातल पर लागू करने की कार्यवाही नहीं की गई थी, अतः आज इस हेतु आहूत की गई बैठक के लिए उन्होंने मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद्, रामगढ़ को धन्यवाद ज्ञापित किया।

अंत मे समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पायलट प्रोजेक्ट को समस्त चयनित स्थलों पर यथाशीघ्र कार्य आरम्भ करने तथा समस्त लघु पथ-विक्रेताओं को योजना से अच्छादित

करने की अपेक्षा व्यक्त की गई, जिस पर मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद्, द्वारा जल्द ही सुखद परिणाम प्रस्तुत किए जाने की आशा और पूर्ण विश्वास दिलाने के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा करते हुए बैठक को पूर्ण विराम दिया गया।

संलग्नकः— बाजार में लगाये जाने वाले रेहड़ी के प्रत्येक मॉडल का चित्र।

m/  
मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद् रामगढ़  
*Chief Executive Officer  
Rangarh Cantt.*

संख्या: VZ/IV/25/TC-08/2023-24

कार्यालय छावनी परिषद् रामगढ़

दिनांक: 16 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि:—

1. अध्यक्ष / स्टेशन कमाण्डर  
छावनी परिषद् रामगढ़ — सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपायुक्त, रामगढ़ — सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक,  
रामगढ़ — सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. नोटिस बोर्ड  
छावनी परिषद्, रामगढ़। — आम नागरिकों के सूचनार्थ।
5. छावनी परिषद्, रामगढ़ की वेबसाइट